उपासुवर्ग
17 APR 2020
गोपनीय

आदेश

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि Corona Virus (COVID-19) के रोकथाम हेतु घोषित लोकडाउन प्रभावित रहने के बावजूद बहुत सारे जनप्रतिनिधि, विधायक, पूर्व विधायक, जिला परिषद्, एन0जी0ओ0, विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा लोगों के बीच सामग्री, खाना, मास्क, सेनेटाईजर, साबुन, पैसा इत्यादि बॉटा जा रहा है। इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना जिला प्रशासन को या नजदीकी थाना प्रभारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को नहीं दिया जा रहा है तथा काफी भीड़ में बिना Social Distancing maintain किये हुए हाट बाजार में सामग्री बॉटा जा रहा है, जो Lockdown नियमों के घोर उल्लंघन है एवं इससे Corona Virus (COVID-19) के फैलने की संभावना है।

अत सभी थाना प्रभारी, देवघर जिला को आदेश दिया जाता है कि भविष्य में जिला प्रशासन या नजदीकी थाना/प्रखण्ड को सूचना दिये बिना इस तरह का कोई कार्यक्रम किया जाता है एवं कही पर भी सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं किये जाने का मामला सामने आता है तो इसकी जॉच कर मामले में उचित कार्रवाई करते हुए अद्योहताक्षरी को अवगत करायेंगें।

सभी पुलिस निरीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, देवघर जिला निर्गत आदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन अपने दिशा निर्देशन में कराना सुनिश्चित करेगें।

16/4

पुलिस अधीक्षक,
देवघर।

ज्ञापांक 1784 /गो0

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, देवघर।
देवघर, दिनांक– 16.04.20

प्रतिलिपिः–

1. उपायुक्त, देवघर को कृपया सूचनार्थ।
2. **पुलिस उपाधीक्षक (मु0)/सी0सी0आर0, देवघर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।
3. **सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, देवघर जिला** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।
4. **सभी पुलिस निरीक्षक, देवघर जिला** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।
5. प्रभारी, नियंत्रण कक्ष, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।
6. सभी थाना प्रभारी, देवघर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।

16/4

पुलिस अधीक्षक,
देवघर।